भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं-523

26 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय:जैविक खेती के क्षेत्र में सिक्किम को सहायत्ता

523.श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सिक्किम को जैविक खेती के क्षेत्र में देश के एक मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत करने का विचार रखती है;

(ख) क्या सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती वाले राज्य का दर्जा बनाए रखने के लिए कोई सहायता प्रदान की जाती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार सिक्किम को जैविक खेती के लिए नई अभिनव तकनीकों को अपनाने और देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लागत को कम करने में सहायता प्रदान करेगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): जनवरी 2016 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ) और सिक्किम सरकार द्वारा संचालित "सिक्किम जैविक मिशन (एसओएम)" नामक स्कीम के समर्थन से सिक्किम जैविक राज्य बन गया है। हालांकि, भारत सरकार देश के सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों (एनई) को जैविक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के लिए परियोजना चला रही है।

सिक्किम जैविक मिशन को संपूर्ण राज्य की खेती को जैविक खेती में बदलने के स्पष्ट रोड मैप के साथ वर्ष 2010 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम में स्थानीय जैविक दुकानों सहित जैविक प्रमाणीकरण, उपभोक्ता शिक्षा और बाजार विकास के क्षेत्र में कई पहलें शामिल थीं।

सिक्किम सरकार ने जानकारी दी है कि किसानों को प्रेरित करने और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सिक्किम राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (सिमफेड) आदि जैसे पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से उत्पादों को बेचने वाले उत्पादकों को प्रोत्साहन प्रदान कर कुट्टू, हल्दी, अदरक, बड़ी इलायची और संतरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 25 दिसंबर 2020 को उत्पादन प्रोत्साहन स्कीम (पीआईएस) आरंभ की गई थी।

भारत सरकार वर्ष 2015-16 से विशेष रूप से सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने और इनपुट, बीज और प्रमाणीकरण से लेकर प्रमाणीकरण, एकत्रीकरण प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांड निर्माण पहलों के लिए सुविधाओं के निर्माण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन करने के लिए मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना है। एमओवीसीडीएनईआर के तहत, एफपीओ के निर्माण, किसानों को सहयोग देने के लिएजैविक इनपुट, गुणवत्ता वाले बीज/रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और प्रमाणन हेतु3 वर्ष के लिए 46,500 रुपये/हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। सिक्किम को पूरी तरह से जैविक खेती वाले राज्य का दर्जा बनाए रखने के लिए किसानों को ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट हेतु3 वर्ष के लिए 32500 रुपये/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रदत्तमांग आधारित वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

- डीबीटी के माध्यम से इनपुट: 3 वर्षों के लिए 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर
- बीज और रोपण सामग्री: 17,500 रुपये
- बीज भंडार/गोदाम/छोटे कोल्ड स्टोर: 7.5 लाख रुपये तक
- संग्रहण, एकत्रीकरण, ग्रेडिंग इकाई: 11.25 लाख रुपये तक
- परिवहन/चार पहिया वाहनः7.50 लाख रुपये तक
- प्राथमिक मोबाइल/न्यूनतम प्रसंस्करण इकाई/प्री-कूलिंग/कोल्ड स्टोर/राइपनिंग चैम्बर/एकीकृत पैक हाउस/रेफ्रिजरेटेड परिवहन वाहन: 37.5 लाख रुपये तक
- एकीकृत प्रसंस्करण इकाई: 600 लाख रुपये तक

वर्ष 2015-16 से, एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत सिक्किम राज्य में जैविक खेती के संवर्धन हेतु 16,650 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 56 एफपीओ और 35,928 लाभान्वित किसानों के लिए 134.82 करोड़ रुपये की कुल सहायता प्रदान की गई है।

सरकार ने देश भर में जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल- www.J ai vi kkhet i .i n/ भी आरंभ किया है।

****